राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 1023, 1024 व 1025/2015 जिला–जयपुर

उनवान–मै. कोमल बिल्डकॉन प्रा.लि.जयपुर बनाम सहायक आयुक्त,वर्क्स कान्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, संभाग–पंथम, जयपुर व अपीलीय प्राधिकारी प्रथम, वाणिज्यिक कर,जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.09.2015	**एकलपीठ** **श्री सुनील शर्मा, सदस्य** अपीलार्थी के ओर से श्री मोहन लाल सारण,अभिभाषक व एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री रामकरण सिंह उपस्थित। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से ये तीनों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय प्राधिकारी प्रथम, वाणिज्यिक कर,जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक–पृथक स्थगन आदेश दिनांक 09.06.2015, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003(जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किये गये हैं, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। उक्त आदेशों में अपीलीय अधिकारी द्वारा सहायक आयुक्त,वर्क्स कान्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, संभाग–पंथम, जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा गया है) द्वारा पारित पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 25.02..2015, जो अधिनियम की धारा 26 के तहत् निर्धारण वर्ष 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12 के लिये पारित किये गये आदेशों में राशि क्रमशः रू. 4,84,063/–, 6,23,317/– एवं 11,975/–की मांग सृजित की है। अपीलीय अधिकारी के समक्ष उक्त राशियों के स्थगन हेतु स्थगन आवेदन पत्र प्रस्तुत रोक आवदेन पत्र को अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार कर रू. 4,84,063/–, 6,23,317/– एवं 11,975/–में से रू. 2,42,000/–, 3,11,500/– व 6,000/– पर स्थगन प्रदान किया है। अपीलार्थी ने अवशेष राशियों क्रमशः रू. 2,42,000/–,रू. 3,11,500/– व रू.6,000/–को स्थगित किये जाने का निवेदन किया गया है। उभय पक्षीय की बहस पर मनन किया गया एवं दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों एवं उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन के पश्चात यह पीठ अनुभव करती है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा स्थगन हेतु	

प्रस्तुत किये प्रार्थना पत्र में स्थगन हेतु आवेदित राशियों को अस्वीकार करने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई कारण अपीलाधीन आदेशों 07.04.2015 में अंकित नहीं किया गया है । लिहाजा, अपीलों के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना स्थगन हेतु आवेदित राशि की वसूली पर निर्धारण अधिकारी के सन्तोष के अनुरूप समुचित जमानत (Adequate Security) प्रस्तुत करने की शर्त पर स्थगन हेतु आवेदित अवशेष राशियों क्रमशः रू. 2,42,000/–,रू. 3,11,500/– व रू.6,000/–स्थगन प्रदान करते हुए अपीलाधीन आदेशान्तर्गत वसूली की कार्यवाही को तीन माह तक स्थगित रखा जाता है। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जावेगा साथ ही अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

निर्णय सुनाया गया ।

(सुनील शर्मा)
सदस्य